हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
एस. सी. एफ.–6,7,8 सैक्टर–4, परमाणू जिला सोलन हि. प्र 173220
टेलिफैक्स– 01792–234081, वैबसाईटः http://hppcb.nic.in/

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा एम/एस अबुंजा सीमेट लिमिटेड, गांव रौड़ी डाकघर दाडलाघाट तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में 30.8.2012 को आयोजित पर्यावरणीय सार्वजनिक जन सुनवाई जिसमें सीमेट प्लांट से क्लिंकर (1.8 MTPA से 2.6 MTPA), रौडी गांव में और खदान क्षेत्र कशलोग, मांगू, पाटी से चुना पत्थर खनन (5.5 MTPA से 7.6 MTPA) क्षमता विस्तार के प्रस्ताव बारे कार्यवाही।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय सार्वजनिक जन सुनवाई 30.8.2012 को सरकारी प्राइमरी स्कूल रौड़ी डाकघर दाडलाघाट तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में पुर्वाहन 11:00 पर एम./एस. अबुंजा सीमेट लिमिटेड, गांव रौड़ी डाकघर दाडलाघाट तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के संयंत्र विस्तार के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियां आपत्तियों को आमंत्रित किया गया। सीमेट प्लाट से क्लिंकर (1.8 MTPA से 2.6 MTPA), रौडी गांव में और खदान क्षेत्र कशलोग, मांगू, पाटी से चुना पत्थर खनन (5.5 MTPA से 7.6 MTPA) क्षमता के विस्तार के लिए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 14.09.2006 के उपरलिखित प्रस्ताव पर एकीकृत जनता की राय एवं आपतियों को लिया गया।

स्थानीय समाचार पत्रों में और स्थानीय जनता तथा सभी प्रभावित पंचायतों मे बोर्ड के अधिकारी के द्वारा दौरा करके सार्वजनिक सूचना प्रणाली(लाउडस्पीकरो) के माध्यम से सार्वजनिक जन सुनवाई के बारे में विज्ञापित किया गया।

सार्वजनिक सुनवाई को भारतीय समय अनुसार पूर्वाहन 11.32 पर शुरू किया गया जो कि 4.15 अप्राहन तक जारी रही। हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी अधिकारियों जिन्होंने कार्यवाही में भाग लिया की मूल सूची, अनुबन्ध 1 मे सलंग्न है।

प्रतिभागियों की मूल सूची अनुबन्ध 2 के साथ सलंग्न है और अबुंजा सीमेंट लिमिटेड के प्रबन्धन कर्मचारियों की मूल सूची जिन्होंने इस कार्यवाही में भाग लिया अनुबन्ध 3 में सलंग्न है। सभी 174 स्थानीय ग्रामीणो द्वारा प्रस्तुत याचिकाओ की प्रतिया अनुबन्ध 4 में सलंग्न है।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता के द्वारा स्वागत एव परिचयात्मक पते के बाद M/s अबुंजा सीमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष/प्लांट हैड द्वारा प्रतिभागियो का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अबुंजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा नियुक्त EIA समन्वयक द्वारा प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त परिचय दिया गया। इसके बाद जनता को प्रस्तावित योजना के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित किया गया। सुनवायी के दौरान उठाये गये विशिष्ट मुद्दों एवं प्रस्तावित योजना की टिप्पणियों का उल्लेख निम्न प्रकार से है:

क्रम संख्या	प्रतिभागियो के नाम	मुद्दे उठाये	अवलोकन
1.	हेत राम शर्मा (पंचायत कशलोग)	(i) कंपनी की वजह से लाखों लोगो को रोजगार मिला है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, इसके चलते और अधिक लोग लाभान्वित होगें।	

2.	रविकांत पाठक (पंचायत बडोग)	(i) पिछले 18 वर्षों में केवल कुछ पेड़ लगाए गए और तीन चैक बांध बनाये गए। कंपनी द्वारा 300 एकड पर दावा किये गये पौधे जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे है।	
		(ii) रौड़ी इकाई के लिए अतिरिक्त जल और अन्य चीजो की आवश्यकता नहीं है।	500 cum पानी की आवश्यकता का प्रस्ताव विस्तार के लिए नहीं अपितु वर्तमान रौड़ी संयन्त्र के लिए है। भूजल भंडारण से निकाले गए पानी का प्रभाव भूजल पर बहुत मामूली है पानी की आवश्यकता के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूजल मानको को अध्ययन के दौरान ध्यान में रखकर किया गया। इस क्षेत्र में रिचार्ज 55 cum है। Hand pump और अन्य साधनो से निकासी 2.2 cum है।
		(iii) केवल 2010 के बाद से सीमेंट सयन्त्र की एक यूनियट के लिए सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए संचालित किया जा रहा है। 2010 के बाद से प्लांट के संचालन के लिए जांच की जांए।	
		(iv) नए वाहनो को लाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन आज ट्रांसपोटर की आर्थिक हालत बुरी है और भविष्य में आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है।	
		(v) कंपनी ने कहा था कि जहां से पानी लाया जा रहा है उसके साथ लगते कृषि भूमि को कुछ पानी सिंचाई के लिए दिया जायेगा। इस मामले की जांच की जाए।	
		(vi) ऐसा सदेंह है कि इकाई में बोरिग करके पानी लिया जा रहा है, जिससे आस पास के स्त्रोत सूख चुके है।	
		(vii) स्थानीय B. Tech, M. Tech & MBA's की भर्ती नहीं की जा रही है। नियुक्ति साक्षात्कार मुंबई, दिल्ली और चण्डीगढ़ में आयोजित की जाती है और स्थानीय स्तर पर नहीं।	दोनो सयन्त्रों में 620 कर्मचारियों, जिनमें 450 (यानी 73%) हिमाचली है जिनमें से 215 अर्की तहसील से है और 150 Land Loosers है।
		(viii) त्वचा कैंसर और अन्य बिमारियाँ अगले 10 वर्षो में इस जगह को अपनी चपेट में लेने की उम्मीद कर रहे है।	
		(ix) केवल IAS, IPS और नेताओं के परिजनो की भर्ती की जाती है और स्थानीय लोगो की भर्ती बहुत कम होती है।	
		(x) कितनी बार कंपनी के माध्यम से रोजगार कार्यालय अर्की से लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है।	
		(xi) एक ट्रक को 5 या 6 दिन में एक बार ढुलाई का मौका मिलता है और यहां पूरा कुप्रबन्धन है।	

3.	नरेश गौतम सचिव ADKM सहकारी सोसायटी दाडलाघाट (श्री बालक राम और श्री रत्न मिश्रा के एवज में बोलते हुए)	(i) इस क्षेत्र में इस इकाई के आने से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है व लोगों के सर्वांगिण विकास के लिए प्रेरित किया है। (ii) इकाई ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए है और इस क्षेत्र में साक्षरता की दर 100 प्रतिशत के करीब है। (iii) युनिट के आने की वजह से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। (iv) इकाई द्वारा विभिन्न ट्रेडो में युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (v) मैं इकाई और खदान के विस्तार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। क्योंकि इस विस्तार से कोई नुकसान नहीं है और यहां भारी मशीनरी लगाई जाएगी और मशीनरी का **उन्नयन** (Up Gradation) किया जाएगा और खनन क्षेत्र से अधिक पत्थर आएगा, जिसकी लीज पहले से प्राप्त है। अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्षमता विस्तार किया जाना चाहिए।	

4.	कृष्ण चन्द शर्मा; (पूर्व प्रधान पंचायत संघोई)	(i) इस इकाई के कारण पिछले 20 वर्षों में सकारात्मक विकास किया गया है। (ii) बेरोजगारी की समस्या को काफी हदतक हल किया गया है। (iii) यह स्वीकार किया गया है कि उद्योग की वजह से कुछ नुकसान होता है लेकिन उन्नत प्रोद्यौगिकी अपनाकर उसे कम किया जा सकता है। (iv) लोगों को खाना और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्योगों की स्थापना जरूरी है। (v) प्रबन्धन की विफलता के कारण आन्दोलन किया गया है और भविष्य में भी किया जाएगा। लेकिन यह कहना गलत होगा कि एक बड़े संयन्त्र की स्थापना की वजह से नुकसान हो गया। (vi) उद्योग की पूर्ति के लिए चार ट्रासपोंट सोसायटी के आने के अलावा कृषि का विकास हुआ है। जो लोग ट्रक नहीं डाल सकते थे, उन्होंने दूध उत्पादन सब्जी उत्पादन की बिक्री शुरू कर दी है। (vii) अंबुजा सीमेंट फाउडेशन (ACF) के कारण SHG को बढ़ावा मिला। (viii) इस प्रस्ताव से लगता है कि परियोजना के विस्तार से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है और मैं तहे दिल से प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।	
5.	सुरेश कुमार शर्मा (निवासी पछिउर गांव)	(i) मेरा घर रौड़ी संयन्त्र के विपरीत पिछली साईड है। (ii) हमारे गांव में ACF द्वारा SHG के लिए फलदार पेड़ उनकी आवश्यकता अनुसार दिये जाते हैं। (iii) संयंत्र की स्थापना की वजह से लाखों लोग लाभान्वित हुए है। (iv) मैं संयंत्र की क्षमता के विस्तार से बहुत खुश हुँगा इससे हम सड़को पर और अधिक ट्रक चलाने में सक्षम होंगे और हमें फायदा होगा।	

6.	नर्मदा शर्मा पंचायत कशलोग प्रधान महिला मंडल और ACF	(i) इस इकाई के आने से हजारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। (ii) सेरा गांव में ACF द्वारा 9 चैक बांध बनाए गए हैं। (iii) गांव में सिंचाई के लिए कुल्हो का निर्माण व Trenches के साथ लगाने के लिए फलदार पौधे ACF द्वारा हर साल दिये जाते हैं। (iv) सिंचाई के लिए बांधों को बनाने से पहले अनुसंधान किया गया। (v) ACF द्वारा गेहूं के उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। (vi) ACF ने स्कूलों को अपने अधीन लिया है और उनके द्वारा नियोजित बाल मित्र एक सराहनिय काम कर रहे है। (vii) ACF द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य सखी 24 घंटे सेवा प्रदान कर रहीं हैं। (viii) पशु स्वास्थ्य सेवीकाओं द्वारा घरेलु पशुओं की देखभाल करने के बारे में शिक्षित किया गया है। (ix) व्यवसायिक प्रशिक्षण महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। (x) ACF द्वारा शमशान घाट और बाउड़ी का निर्माण हुआ है। (xi) क्षमता में वृद्धि एक अच्छी बात है और हमें इससे कोई आपति नहीं है।	
7.	दिनेश कुमार निवासी कशलोग	(i) परियोजना के आस पास की सभी 6-7 पंचायते कृषि पर निर्भर है (ii) कंपनी का दावा है कि संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव में अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होगी। (iii) इकाई द्वारा यह भी प्रस्तुति की गई है कि 500KL पानी की आवश्यकता होगी और जिसे भूजल से प्राप्त किया जाएगा। (iv) भूजल का स्तर पहले नीचे जा रहा है और हैण्डपम्प भी 3 से 4 महीने तक सुखे रहते है। और बाउडियां भी सुखने के कगार पर हैं। (v) खनन 1250 MSL तक किया जाना प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और	उपर के कमाकं 2 के अनुसार। भूमिजल को पूनर्भरण (Recharge) को सुनिश्चित करने के लिए 10 से 12 ऐसी संरचनाओ को जोड़ा जाएगा जिनका पानी रिसकर कुओं का पुनर्भरण करेगा। 2 प्रतिशत नाले में बह रहे पानी को इकठ्ठा कर रौड़ी प्लाट में प्रयोग किया जाएगा ।

		जांच करने की जरूरत है। (vi) इकाई का सुझाव है कि अध्ययन आस पास के 10 किलो मी. के क्षेत्र में किया गया है। लेकिन आस पास के क्षेत्रो से कोई नमूने नहीं लिये गए है। (vii) जंहा खदान में ब्लास्टिंग होती है वहां खदान से अधिक प्रदूषण होता है। (viii) रिपोर्ट में पेड़ो की कुछ ही प्रजातियां दर्शाई गई है। जबकि इस क्षेत्र में पेड़ो की अधिक प्रजातियां पाई जाती है। (ix) जैसा कि कंपनी द्वारा सुझाव दिया गया है कि खनन क्षेत्र में हवा का रूख पूर्व से उतर दिशा में है। जबकि खनन क्षेत्र के विपरीत दिशा में सेरा और रछोह गांव पड़ते हैं, जहां इकाई द्वारा कोई सेफ्टी जोन अधिसुचित नहीं किया गया है। (x) इकाई पूरे खनन क्षेत्र में पानी छड़काव नहीं कर सकती जिससे धूल पौधे और फसलों पर बैठेगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। जबकि दिवार पारनू और समाना गांव के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। (xi) खनन क्षेत्र में कोई दिवार नहीं है जिसे तूफान जल को रोका जाए वहां पर कुछ चैक बाधं बने हैं लेकिन पानी नीचे बहकर हमारी फसलो को नुकसान पहुंचाता है। (xii) इकाई ने प्रस्ताव में कहा है कि कलींकर संयंत्र में सारी सड़के पक्की की जाएगी और खनन क्षेत्र में सड़के पक्की की जाएगी और उन पर स्तत जल छिड़काव किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। (xiii) इकाई ने घोषित किया है कि खनन क्षेत्र में डम्पर की गति 20 किलो मी. प्रति घण्टा प्रस्तावित है लेकिन डम्पर निर्धारित गति की तुलना में अधिक स्पीड से चलाए जाते है। (xiv) इकाई ने यह स्वीकार किया है कि संयंत्र विस्तार से इलाके पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। संयन्त्र से साथ लगते इलाको के इलावा भी इस इकाई का प्रभाव होगा, इसे संयंत्र ही अच्छी तरह से बताए। (xv) उद्योग के लगने से कोई आपत्ति नहीं हैं क्योंकि इससे अधिक रोजगार मिलेगा परन्तु पीने का पानी, पर्यावरणीय मुश्किलें, ध्वनि प्रदूषण और दूसरी मुश्किलों को भी सही तरीके से बताये जाएं। (xvi) जब ACF को पौधे मुहईया करवाने के लिए कहा गया तो कंपनी ने 5 रू. प्रति पौधा और ढुलाई का खर्चा भी हमसे मांगा। (xvii) इस संयंत्र द्वारा बेरोजगार लोगों का एक	हम अपनी खदानों में यान्त्रिकृत खनन कार्य करेंगें जो कि भारतीयों द्वारा खान ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। तथा समय–2 पर महानिदेशक खान सुरक्षा, भारतीय खानव्यूरो राज्य भू विज्ञान आदि जैसी सरकारी एजैंसियो के निरीक्षण और अनुमोदन से कार्यनिर्वत होती है। ब्लास्टिग की दैनिक निगरानी नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके की जाती है।

		समूह बनाया जा सकता है जो वृक्षारोपण और दूसरे अन्य पहल में मदद करें।	
8.	विजय कुमार निवासी कशलोग	(i) जब भी कोर्ट के अधिकारी डी सी आदि कंपनी के मुआइने पर आये कंपनी ने संयंत्र को कम क्षमता पर चलाया। (ii) कंपनी हमे दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है लेकिन उन्हे खिलाने के लिए चारा नहीं है, गंदा पानी हमारे खेतों में जाता हैं, जिससे हमारी धान की फसल नष्ट हो चुकी है। अन्य गांव में भी संयंत्र के इस गन्दे पानी से फसले खराब हुई है और कंपनी इस स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। यदि रौड़ी की क्षमता बढ़ाई जाती है तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा और हमारा जीना मुशकिल हो जाएगा। (iii) जब कंपनी रात को पत्थर तोड़ने की मशीन चलाती है तो हम सो नहीं सकते बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, अगर आप दाड़ला स्कूल का परिणाम देखें तो वह शून्य है। (iv) यदि हम अबुंजा स्कूल में अपने बच्चो को पढ़ाते है तो उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। अंबुजा के बच्चो को हमारे बच्चो से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। (v) इस सब के बावजूद भी अगर आप प्रस्ताव को रखते है तो हम आत्म हत्या के लिए विवश है। इस लिए हम विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते है।	हम आपको और सरकार को सूचित कर चुके है कि हम रात को पत्थर तोड़ने वाली मशीन नहीं चलाते। इस समय भी हमारे नजदीक यह कनवेयर बैल्ट अभी भी सामान्य गति से चल रही है और इससे प्रदूषण की मात्रा को आसानी से जांचा जा सकता है।
9.	जगदीश शर्मा निवासी रौड़ी इसके अलावा सदस्य वार्ड	(i) कंपनी के काम काज के कारण समस्याओं का एक बहुतायत है (ii) हम जानते है कि लोगों का विकास हुआ है परन्तु सोलन जिले में ही राज्य के दूसरे लोगों जिनकी कोई जमीन नहीं गई है और वो लोग जिनकी 3000– 3500 गाडियां प्लांट में चल रही है, का विकास हुआ है (iii) प्लांट के आने से कशलोग, मांगू, गयाना, पाटी, रौडी और आस पास के ग्रामीणों से उनकी उपजाऊ भूमि कंपनी ने बहुत कम कीमत में खरीदी है। (iv) कंपनी द्वारा भूमि का अधिग्रहण अवैध रूप से किया गया है तथा लोगों को पुलिस द्वारा उन्हे पुलिस स्टेशन में रखा गया तथा उनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया गया। (v) हाल ही में पछीयूर गांव में अवैध रूप से पुलिस बल द्वारा उनकी भूमि पर हिस्सेदारी जताई गई है। (vi) कंपनी के अधिकरियों द्वारा किसानों और महिलाओं पर बल प्रयोग किया और यह मामला	संयंत्र लगातार 24 घण्टे चलता है और पुलिस की सहायता तभी ली जाती है जब उस प्रक्रिया में व्यवधान आता है या 3500 ट्रकों का कार्य वादित होता है।

		दाडलाघाट में पंजीकृत है कि तथा इस तरह के कई केस कंपनी के खिलाफ दर्ज है जिनकी हाईकोर्ट ने भी कंपनी से जानकारी मांगी है। किसानों को उनकी भूमि छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। (vii) कंपनी प्रबन्धन क्षेत्र का मालिक बन गया है जो कि 1947 से पहले के दिनो की याद दिलाता है। आज स्थानीय लोग भूमिहीन हो गए है जो कि बाजार और केवल ट्रको पर ही निर्भर है या जीने का एक साधन है। (viii) बाहर के ट्रक इतने बढ़ गए है कि स्थानीय लोगो को बहुत सीमित मांग प्राप्त होती है। (ix) लगभग 70 प्रतिशत कलींकर यहां से रूड़की, नालागढ़ और रोपड़ को सीमेंट बनाने के लिए भेजा जाता है और केवल 30 प्रतिशत सीमेंट यहां पर बनाया जाता है कलींकर के परिवहन से कोई सराहनीय लाभ नहीं है। जिसके कारण कम रोजगार मिल रहे है और कर के रूप मे सरकार को नुकसान हो रहा है क्योंकि कंपनी को कच्चे माल को बाहर भेजने पर कम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।	
10	पंचायत समिति सदस्य (पंचायत मांगू संगोई गयाना)	(i) कंपनी द्वारा हमारे क्षेत्र में बहुत से कार्य चलाए जा रहे हैं। अजीविका में पैट्रोल पम्प व मकैनिक की दुकानों से विस्तार हुआ है। कंपनी विस्तार से सभी ट्रेडों को बढ़ावा मिलेगा इसलिए इस विस्तार को मेरा समर्थन है।	
11	विमला देवी पंचायत संगोई	(i) ACF द्वारा हमारे गांव में SHG बनाना तथा सड़के बनाना व आंगन बाडी आदि के कार्य करना ACF द्वारा स्कूलो को पुरस्कार देना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन स्कूल तथा गांव में करना। ACF द्वारा नई तकनींको के बारे में शिक्षा देना और प्रत्येक वर्ष 300 से 400 पौधे गांव में लगाना और भी कई क्षेत्रों में ACF द्वारा मदद करना।	
12	शान्ता शर्मा निवासी पछिउर	(i) कुछ कमिया हैं और इस सम्बन्ध में कंपनी के लिए समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। (ii) हम यह नहीं कह सकते कि कंपनी ने कोई काम नहीं किया है। (iii) यह शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सकेंतक, चाहे व्यक्तिगत लाभ 3 से 4 हजार के बीच चलने वाले इस क्षेत्र के ट्रक और कई लोगों को इस संयंत्र से अजीविका का लाभ मिला है। (iv) इस क्षेत्र के लोगों की क्रय शक्ति बड़ी है।	

		(i) यहां कार्यवाही में एक अस्थाई हगामा था जो विडियों रिकोर्डिग में देखा जा सकता है	
13	विनोद रघुवंशी निवासी कशलोग	(i) ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारे आ चुकी है और कंपनी उन पर प्लास्टर का सुझाव एक तरह से इलाज और 5000 से 10000 मुआवजा प्रदान करती है। क्या यह सही प्रक्रिया और प्रर्याप्त उपाय है। (ii) कंपनी बता सकती है कि खनन कार्य से प्रदूषण का चारागाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपने 1 लाख के पशुओं को 1000 में बेचने को मजबूर है क्योंकि उनसे सही मात्रा में दूध नहीं मिल रहा है। (iii) PWD JE के पास भी ब्लास्टिंग के कारण दरारों से क्षतिग्रस्त किसी भी घर को मुआवजा देने के लिए नपाई नहीं है। (iv) हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनता है (v) पिछले समय गयाना गांव में डी. सी. आया था और मैंने एक अनरोध प्रस्तुत किया था लेकिन किसी को कोई प्रवाह नहीं है। (vi) कंपनी का कहना है कि हम 70 प्रतिशत रोजगार दे रहे है जबकि यह 7 प्रतिशत रोजगार भी नहीं है। (vii) लोग जिनकी भूमि प्रभावित हुई है और बाहरी लोगो को 20 प्रतिशत रोजगार दिया गया है। लेकिन सीधे प्रभावित लोगो को 7 प्रतिशत रोजगार भी नहीं दिया गया है।	
14	रामकृष्ण शर्मा अध्यक्ष परिवहन सोसायटी दाड़लाघाट	(i) विस्तार परियोजना के कारण प्रदूषण के प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित नहीं किया गया। (ii) विस्तार क कारण परिवहन में वृद्धि होगी। (iii) 23 फरवरी 2010 के बाद दोनो संयंत्रो को एक साथ कितने दिनो तक चलाया गया इस तथ्य को कंपनी द्वारा रिकार्ड में रखा जा सकता है लेकिन मुझे संदेह है कि ऐसा नहीं है। (iv) रौड़ी और सूली संयंत्र की क्षमता 10000 टन है लेकिन कलींकर 7000 टन भेजा जाता है। इतना कम कलीकंर क्यों भेजा जाता है कंपनी स्पष्ट करें। (v) यदि कंपनी दोनो संयंत्रों की क्षमता उपयोग नहीं कर सकती तो विस्तार क्यों लाया जा रहा है। ट्रांसपोटर केवल पीड़ित है क्या ऐसे में विकास जगह ले पाएगा। (vi) रौड़ी गांव रौड़ी संयंत्र द्वारा प्रभावित है क्योंकि	हम इससे सहमत नहीं है कि दोनो प्लांट एक साथ नहीं चला सकते कई बार बंद रख रखाव के लिए लिया जाता है और इस प्रक्रिया में एक माह लग जाता है। इसके अलावा बाजार में कम मांग के कारण प्लाट बंद रहता है लेकिन विस्तार का प्रस्ताव भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

		यह सबसे नजदीकी घर संयंत्र से 26 मी. की दूरी पर है जिसकी रिपोर्ट SDM द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।	
		(vii) इस विस्तार से सबसे अधिक प्रभावित आस–पास के लोग होगें न की 10 किलो मी. दूर के लोग।	
		(viii) द्वितीय संयंत्र के प्रभाव की रिपोर्ट उच्च न्यायलय में भेजी जा चुकी है। और जब दूसरे संयंत्र के लिए कनवेयर चलती है तो स्कूल में बच्चे ध्वनि के कारण कुछ भी नहीं सुन सकते।	
		(ix) हम अपने घरों से सुबह के समय 2 से 3 किलो कोयले की धूल हटाते है और साथ लगते गांव बटेड़, खाता, रौड़ी व बागा गांव भी प्रभावित है। इसकी बजह से दाड़लाघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पिछले वर्ष सांस लेने की समस्या, त्वचा की समस्या, ब्रोंकाइटिस, कैंसर और टी.वी. के 1600 रोगी पाए गए।	
		(x) IPH स्वीकार कर चुका है कि बॉड़ियों का जल प्रदूषित है।	
		(xi) कंम्पन की बजह से हमारे घरों में दरारे।	
		(xii) पशु पालन रिपोर्ट जो कि उच्च न्यायलय में प्रस्तुत की गई है में कहा गया है कि क्षेत्र में चारा प्रदूषित पाया गया है।	
		(xiii) खनन कार्य गांव से 100 मी. की दूरी पर किया जा रहा है डंम्पर 20 किलो मी. प्रतिघण्टे की रफतार से ज्यादा तेज चलते है, और गांव वाले वाहनो की आवाजाही से कम्पन महसूस करते है जिससे घरों में दरारे आती है प्रदूषण हो रहा है, मवेशियों की मृत्यु हो रही है और कोई भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कंपनी 300 से 400 लोगों को मुआवजा वितरित कर चुकी है उनके घरो के नुकसान के लिए जिससे साबित होता है कि खनन कार्य वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है।	जो गांव खनन क्षेत्र में बहुत करीब आ गए है वहां हम Ripper dozers और Hydraulic cutting machine का इस्तेमाल करते है ताकि ग्रामीणों को कम असुविधा हो। हम खदान क्षेत्र में सही निकासी करण (Drainage) सुनिश्चित करते है ताकि जल एक जगह नीचे गड्डे में एकत्र हो। ताकि हम व अन्य लोग भी उस जल का इस्तेमाल कर सके।
		(xiv) हम भी कंपनी को वापिस भेजना नहीं चाहते लेकिन सहअस्तित्व के सिद्धात में विश्वास करते हैं।	
		(xv) पिछले 16 वर्षो में हमारे केवल 60 बच्चो को रोजगार दिया गया है।	
		(xvi) कंपनी को इकाई क्षेत्र में 2 प्रतिशत रायल्टी खर्च करना माना जाता है, जो की कंपनी खर्च नहीं कर रही है यह हमारा अधिकार व कंपनी का दायित्व बनता है।	
		(xvii) ACF ने अच्छा काम किया है।	

		(xviii) PCB विस्तार के लिए सहमति नहीं दे सकती क्योंकि PCB उच्च न्यायलय की मुकदमेबाजी में स्वयं एक पार्टी है। (xix) विस्तार के कारण अधिक शोर और अधिक प्रदूषण होगा और इससे अधिक बिमारियां बढ़ेगी और जब तक सभी समस्याओं को संम्बोधित नहीं किया जाता हम विस्तार प्रस्ताव का विरोध करते हैं।	कंपनी ने एक विश्व स्तर के CEMS(सतत निगरानी प्रणाली) नामक उपकरण तेनात किया है जो लगातार प्रदूषण पर नजर रखता है और जिसकी रिपोर्ट PCB में प्रस्तुत की जाती है, और PCB विभाग हम पर इससे सम्बन्धित पूरी निगरानी रखे हुए है। भविष्य में ऐसा कानून बन चुका है, जिसमें हम प्रत्येक मिनट का डेटा रखेंगे और वह PCB की निगरानी में होगा। आप निश्चित होकर आराम कर सकते है। हम कम से कम प्रदूषण पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं।
15	पवन कुमार निवासी ग्याना	(i) इस विस्तार से और अधिक विकास होगा लोगो की वितिय स्थिति में कई माइनो से और अधिक सुधार होगा। (ii) यह संयंत्र सरकार व हमारे अधिकरियों की वजह से चल रहा है और यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। मैं कंपनी पर निर्भर हूँ और कंपनी से ही अर्जित करता हूँ और आने वाली पीढ़ी भी यहीं से अर्जित करेगी। (iii) मैं पूरी तरह से विस्तार का समर्थन करता हूँ।	
16.	ललित कुमार पंचायत कशलोग	(i) मेरा घर कशलोग खनन से सटा हुआ है। (ii) बहुत सारे लोग जैसे ड्राइवरों, कंडक्टरों, पैट्रोल पम्प मालिक, स्पेयर पार्ट दुकानदार आदि को रोजगार मिला है। (iii) मन्दिर और रस्तो का निर्माण कंपनी द्वारा किया गया है। (iv) मैं विस्तार प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे हमें रोजगार मिलेगा। (v) मैं PCB से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी तकनीक को इस्तेमाल किया जाये ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।	

17	देवी चन्द शर्मा निवासी रौड़ी	(i) मैं कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ और यह कुछ हद तक सही है कि कंपनी के आने से हमें रोजगार मिला है। (ii) कंपनी यह भूल रही है कि लोगो ने कंपनी का साथ दिया है। ग्रामीणों ने अपनी जमीन की कीमत 3100 रू. एक बिस्वा और 1050रू. बिस्वा दी है और हम 1 लाख रू. बिस्वा की दर से खरीद रहे हैं। (iii) हम कंपनी के लिए अपनी मूल्यवान जमीन खो चुके है। (iv) यहां से एक किलो मी. दूर एक आवासी कलौनी है, जहां वर्षा के दौरान वर्षा के पानी से गतिविधियां प्रभावित होती है और काफी असुविधा होती है। (v) सीवेज सिस्टम का सुझाव कंपनी ने दिया था जिसका मटेरियल अभी तक नहीं आया है। (vi) रौड़ी गांव में ध्वनि प्रदूषण इतना अधिक है कि रात को बच्चे और बूढ़े सो नहीं सकते। (vii) हम सब अपनी भूमि खोने के बाद यह कहने को मजबूर है कि हमे संयंत्र से केवल अजीविका प्राप्त होती है। (viii) हमारे गांव में 500 लोगों में से केवल 10 लोगों को रोजगार हाल में ही मिला है। (ix) पूरी जमीन में से अब हमारे पास केवल 1 या 2 बिस्वा चरागाह ही बची है।	संयंत्र का ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। जहां पर भी निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि पाई जाती है, हम उसे कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसे कम किया जा सके जैसे दिवारों को अधिक उंचाई तक बनाना। अधिकतम शोर करने वाली मशीन कंप्रेसर है कंपनी में चल रहे सभी कंप्रेसर बंद कमरे में व silencer के साथ चलाये जाते है ताकि ध्वनि को कम किया जा सके। रौड़ी संयंत्र में शीटिंग का कार्य चल रहा है और अभी प्रगति पर है ताकि उस जगह का ध्वनि स्तर कम किया जा सके। हमारे कोशिशों का परिणाम है कि वहां ध्वनि स्तर में कमी पाई गई है।
18	महेश्वर दत भारद्वाज प्रधान गोल्डन परिवहन सोसायटी	(i) यह अच्छा है कि संयन्त्र आने चाहिए इनसे हमें रोजगार मिलता है (ii) मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस विस्तार के लिए क्या अभी तक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है या नहीं। (iii) कंपनी द्वारा भूमि के हस्तांतरण की दर बहुत कम है। (iv) उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (v) भूमि जिसको कंपनी ने ले लिया है वहां प्राथमिकता के आधार पर लोगों को रोजगार देने का समझौता क्यों नहीं किया गया।	

		(vi) यदि वहां लोग जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है के लिए कोई रोजगार नहीं है, तो मै इस विस्तार प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाता है तो मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।	
19	गुरूदास राम निवासी संघोई	(i) संयंत्र की वजह से कुछ स्थानों पर विकास अधिक हुआ है और कुछ पर कम। (ii) पिछले 25 सालों से मैंने प्रदूषण विभाग को नहीं देखा है, केवल आज देख रहा हूँ। (iii) यदि संयंत्र विस्तार होता है तो वाहन चलेंगें परन्तु कंपनी को देखना है कि कौन लोग नुकसान में है। (iv) मैं विस्तार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।	
20	किरपा राम भगत निवासी कशलोग	(i) खनन से अधिकं प्रभावित कशलोग पंचायत जिसमें बणोग गांव सबसे अधिक प्रभावित है। खनन, प्रदूषण व OLBC से, रास्ते रोक दिये गए है, पानी की लाइने प्रभावित हुई है और पशु प्रभावित हुए है। (ii) सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं मवेशी। (iii) हमारी जमीन खेती उत्पाद और पशु खत्म हो चुके है। मामला उच्च न्यायलय में है लेकिन किसी को प्रवाह नहीं है। (iv) सभी आसपास के नाले प्लास्टिक बैग से प्रभावित है और हमारे क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं।	
21	विद्यासागर निवासी मांगू	(i) अंबुजा ने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। (ii) मांगू के निवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। (iii) मैं विस्तार का समर्थन करता हूँ लेकिन विस्तार का सारा फायदा मांगू, रौड़ी, के निवासियों को मिलना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में खनन कार्य अधिक है। मांगू से वाहन बहुत कम है। (iv) मांगू गांव से एक बस DAV स्कूल तक लगाई जानी चाहिए। (v) नर्सरी से दाड़लाघाट तक की सड़क रखरखाव के लिए कंपनी को दी जानी चाहिए।	

22	रामकृष्ण शर्मा निवासी चंडी	(i) संयंत्र की स्थापना से हम जहां लाभान्वित हुए हैं, वहां नुकसान भी उठाना पड़ा हैं। (ii) चंडी गांव के निवासियों को अधिक लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इस प्लांट के लिए पानी का स्त्रोत पजीना गांव है, और इसका हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें रोजगार में कोई अधिकार नहीं दिया गया आदि। (iii) हमारे रोजगार व पत्र लोगों को ट्रक चलाने के लिए सोसायटी के अन्तर्गत कवर किया जाना चाहिए। (iv) मैं विस्तार प्रस्ताव विस्तार का समर्थन करता हूँ , लेकिन हमारी पंचायत के लोगों को भी लाभान्वित किया जाना चाहिए।	
23	रमेश चन्द निवासी पजीना	(i) 18 साल बीत जाने पर भी बस पजीना गांव में नहीं पहुंची है जहां से कंपनी अपने उद्योग के संचालन के लिए पानी ले रही है। मैं इस गांव के लिए सड़क बनाने का अनुरोध करता हूँ। (ii) सड़क बनाते समय जो मिट्टी फैंकी गई उसे उठाने का प्रबन्ध किया जाए। (iii) संयंत्र का विस्तार होना चाहिए।	
24	अनिल कुमार निवासी सेरजेरी	(i) रात में खनन कार्य ग्रामीणों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, यह कंपनी से बार बार अनुरोध किया जा चुका है। (ii) डी. सी. ने लिखित में दिया था कि नियन्त्रण उपकरणों को गांव में स्थापित किया जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। (iii) ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उपाए किये जाने चाहिए।	जितनी जल्दी मांगू खदान शुरू होगा रात का संचालन नहीं होगा क्योंकि पत्थर की जरूरत कशलोग और मांगू खदान में बंट जाएगी। रौड़ी संयंत्र में वायु प्रदूषण का उत्सर्जन कम करने के लिए GBH और Bag Filters लगाए गए है ताकि उत्सर्जन निर्धारित मापदण्डो से नीचे रहे। हम धूल उत्सर्जन पैरामीटर को 20 से 25 में बनाये रखने की कोशिश करते है जबकि लिमिट 50 की है।

25	डॉ. एस पंवार निवासी बरसनु	(i) कंपनी, द्वारा भारत सरकार के विभागों और निवासियों के सहयोग से तैयार रचनात्मक उपायों को किया जाना चाहिए। (ii) संयंत्र के विस्तार की वजह से प्रदूषण होगा। (iii) यदि सभी उपचारी उपाय जो कंपनी ने सुझाए हैं, तो प्रदूषण की जांच की जानी चाहिए। (iv) समस्याओ के समाधान व सुझाव के लिए एक मासिक या 6 मासिक बैठक बुलाई जानी चाहिए। (v) मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि यहां एक विस्तार होना चाहिए। (vi) जो कुछ समस्याएं ग्रामीणों ने बताई है कंपनी उन समस्याओं को सही ढंग से व पूरी तरह से बताए।	
26	श्याम लाल निवासी कून पछिउर	(i) हमें गर्मियों में प्रदूषण के खतरनाक खतरो का सामना करना पड़ सकता है। अधिक धूल के कारण हम अपने पशुओं के लिए घास नहीं काट सकते। (ii) कंपनी ने छह साल पहले यह प्रतिबद्धता बताई थी कि जब वैकल्पिक सड़क शुरू हो जाएगी तो स्कूल बस चला देंगे और बाद में डी. सी. ने गयाना में आदेश दिया था कि बच्चों के लिए स्कूल बस 15 दिनों में शुरू हो जाएगी लेकिन आज तक कोई भी बस शुरू नहीं हुई है। (iii) अब कंपनी ने पैदल रास्ते भी अवरोधित कर दिये हैं। (iv) कंपनी के लिए 6 साल पहले डंपींग के लिए भूमि दी थी और कंपनी ने उसे उपयुक्त बनाकर वापिस लौटाने का वादा किया था, लेकिन यह आज तक नहीं किया गया। (v) कंपनी संचालन के कारण प्रभावित भूमि को विकसित किया जाना चाहिए।	
27	हरी राम निवासी पछिउर	(i) मुझे कंपनी द्वारा कोई रोजगार नहीं दिया गया और बार बार कंपनी से हटा दिया गया। (ii) यहां बहुत सा प्रदूषण है, कुछ जो गाडियों के चलने से है, कुछ धुएं की बजह से है, कुछ भोजन के फैकनें की वजह से है और कुछ ध्रुमपान की वजह से है जिसे जांचा जाना चाहिए। (iii) वाहनों को धीरे से चलाया जाना चाहिए। विशेषकर जब वो ढलान उतर रहे हों, जिसकी वजह से ज्यादा शोर होता है।	

28	सुनीता पंवार निवासी कशालोग	(i) खनन क्षेत्र के आसपास के लोगों का जीवन वायु प्रदूषण की वजह से प्रभावित है और यह चारागाह को भी प्रभावित कर रहा है। (ii) सिंचाई और पीने के पानी के स्त्रोतो की समस्या प्रमुख रूप से है। (iii) ब्लास्टिंग के कारण मकान प्रभावित है और शोर भी एक समस्या है। (iv) खनन क्षेत्र की दूरी कम से कम 50 मी. रह गई है। (v) डम्पर, खनन ब्लास्टिंग के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। कच्चे मकान गिरने के कगार पर है और कुछ गिर गए है। (vi) सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसका सामना हम प्रतिदिन कर रहे है वह है ब्लास्टिंग से गिरने वाले पत्थर, जिनसें रास्ते नष्ट हो रहे है और बड़ी असुविधा हो रही है। (vii) ग्राम पंचायत ने खनन पट्टा नवीकरण के लिए कोई मंजूरी नहीं ली।	हमने रोड़ पर पानी के छिड़काव के लिए एक टैंकर की जगह दो टैंकर लगाये है जो कि धूल को कम करने के लिए लगातार चलते है। हमने क्रशर पर धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए Sprinklers लगाए हैं, ताकि जब डम्पर क्रशर में खाली हो तो धूल का उत्सर्जन कम किया जा सके।
29	डी. आर. शर्मा निवासी रौड़ी	(i) प्रदूषण इतना अधिक है कि जब हम सुबह फर्श पर झाडू लगाते हैं, तो फर्श से 2.5 किलो ग्राम कोयले की धूल इकट्ठी होती है। (ii) शोर इतना अधिक है कि तकीये के नीचे रखे फोन की घंटी भी सुनाई नही देती क्योंकि मेरा घर संयंत्र के बिल्कुल पास है। (iii) हम संयंत्र को अपनी सारी जगह दे चुके हैं। (iv) सभी प्रभावितों को रोजगार दिया जाना चाहिए। (v) हमारे गांव को यहां से किसी उचित स्थान पर स्थानांत्रित कर दिया जाना चाहिए।	केवल वही भूमि जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा कर लिया जाता है और जिसके लिए भुगतान LAC अधिकार के लिए लाया गया है वही केवल कंपनी के कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती है

30	तुलसी राम शर्मा निवासी चंड़ी	(i) हमारी पंचायत विस्तार का समर्थन करती है क्योंकि इस पर बहुत लोग निर्भर हैं और हमारा गांव संयन्त्र से 15 से 18 किलो मी. की दूरी पर स्थित है, लेकिन आवश्यक और प्रर्याप्त उपायों द्वारा PCB और कंपनी द्वारा प्रदूषण कम करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (ii) 1992 में जब हलफनामें दिये गये थे पजीना से संयंत्र में पानी की आपूर्ति के लिए तब पजीना सड़क बनाने का अनुरोध किया गया था, जो काम अभी तक भी अधुरा है। (iii) चंडी पंचायत को वाहनो के कार्य में नजर अंदाज किया गया है। जबकि प्लांट द्वारा इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। (iv) मैं चाहता हूँ कि प्लांट का विस्तार हो।	इस क्षेत्र में 5 परिवहन सभाओं की हिस्सेदारी है प्रशासन और उसके निर्देशों का पालन कर रही है और कंपनी की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। सभी परिवहन सभाओं के अपने स्वयं के उप नियम हैं, जिस पर कंपनी का कोई नियन्त्रण नहीं है। ट्रासपोर्ट सोसायटी कार्य स्वयं निर्धारित करती है।

इस सार्वजनिक सुनवाई में स्थानीय निवासियों/ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित क्लिंकर इकाई व कशलोग चूना पत्थर खनन परियोजना के विस्तार के लिए ड्राफ्ट EIA पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ADM सोलन ने लोगों का धन्यवाद किया।

(श्री दीपक अग्रवाल)
पर्यावरण अभियंता
एच. पी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परमाणू

(श्री प्रदीप कुमार ठाकुर)
उप जिला दण्डाधिकारी
जिला सोलन